

10/12/24

राधुनाथ

र. लीखर



पत्रावली प्रावर्गण के प्रावर्गण पत्र पर सिगट
से तलब की गयी। प्रकरण में प्रावर्गण स्वयं
उपस्थित होकर एक प्रावर्गण प्रस्तुत कर
दिये। उक्त प्रावर्गण व विपक्षीय
पक्ष के मध्य आपसी समझौता हो जाने से
प्रावर्गण उक्त प्रावर्गण को अब आगे
नहीं चलाना चाहते हैं। प्रावर्गण प्रस्तुत
प्रावर्गण का अपलोडिंग किया, पत्रावली पर
उपलब्ध डेटा प्रिण्ट का अपलोडिंग किया
गया, प्रकरण में
प्रावर्गण स्वयं उक्त प्रावर्गण पर अब आगे
कोई कार्यवाही नहीं चलाने से प्रावर्गण
के प्रावर्गण की कार्यवाही इसी तरह पर समाप्त
की जाती है। प्रकरण में पुके में जारी एक
पञ्जीय आदेश विवेचना दिनांक 26/11/2024
को स्पष्ट निरस्त माना जाये। पत्रावली के तहत
आगत होकर उक्त नम्बर से पत्र लगे।

10/12/24
उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा